

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान कुलदीप सिंह आदि बनाम कमलदीप कोर आदि

प्रकरण संख्या 62 / 2020 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं जो इस अं पालना में
--------	-----------------------------------	------------------------------

3/19/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र हेतु समय प्राप्त। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 21/3/25 को पेश है।

03/21/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र हेतु समय प्राप्त। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 26/3/25 को पेश है।

03/26/25 अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेद्यांका दिनांक 13/11/20 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निगमित होकर नुम्बर से कम होकर दाखिल पकृत है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर